आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1993) 1 (321-326)

समक्ष: जे.एस. शेखों, आर.एस. मोंगिया और एन.के. कपूर, माननीय न्यायमूर्ति

डी. एल. कात्याल, लेखा कार्यकारी, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड, डूंडाहेड़ा, (गुड़गांव), - याचिकाकर्ता।

बनाम

इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड, डूंडाहेड़ा, गुड़गांव हरियाणा और अन्य, - उततरदाता।

1989 की सिविल रीट याचिका संख्या 5567।

17 दिसंबर 1992.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226–इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड आचरण, निर्देश और अपील नियम, 1978– नियम- 5–भावी अनुप्रयोग का सिद्धांत–मोहम्मद रमज़ान मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। अपचारी को जांच रिपोर्ट की एक प्रति देना आवश्यक है - इसके भावी प्रभाव के बारे में दिशा-निर्देश दिए गए हैं - सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद रमज़ान के मामले को काफी मुकदमों में अनुसरण किया। मोहम्मद रमज़ान निर्णय से पहले अपचारी के खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित किया गया । ऐसे आदेश मोहम्मद रमज़ान में निर्धारित कानून के तहत योग्य नहीं हैं। निर्णय उस दिन विचाराधीन मामलों पर भी लागू नहीं होता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मोहम्मद मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून का पालन भावी तोर पर किया जाएगा। वर्तमान मामले में इस आधार पर आक्षेपित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है कि दंडात्मक प्राधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश को मंजूरी देने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी।

(पैरा 10 और 11)

अभिनिर्धारित किया कि मदन लाल के मामले में इस न्यायालय के फैसले में जो कहा गया था, कि मोहम्मद मामले में स्थापित किया गया कानून न्यायालयों में विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगा, शीर्ष न्यायालय के बाद के निर्णयों को देखते हुए सही कानून नहीं है।

(पैरा 10)

भारत के संविधान के निर्देश 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है:-

(i) केस का रिकॉर्ड तलब किया जाए;

(ii) 26 मई 1988 के आदेश, अनुलग्नक पी/3 और 2 फरवरी 1989 के आदेश, अनुलग्नक पी/5, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया गया और उस आदेश पर की गई अपील भी खारिज कर दी गई, को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की रिट जारी की जाए और वेतन के बकाये के साथ सभी परिणामी लाभ दिये जाऐं।

(iii) यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय मामले की विशिष्ट रिवायत को समझते कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

(iv) उच्च न्यायालय के न्यायालय के नियम और आदेशों के अधीन उत्तरदाता को अग्रिम अधिसूचना जारी करने में छूट दी जाए।

(v) कृपया अनुलग्नक पी/1 से पी/2 की प्रमाणित प्रतियां देने में छूट दी जाए;

(vi) कृपया याचिकाकर्ता को याचिका की लागत दी जाए।

(मामले में शामिल कानून के बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए 24 जनवरी, 1992 को माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. मोंगिया, श्री न्यायमूर्ति जे.एल. गुप्ता की खंड पीठ द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया। पूर्ण पीठ में शामिल माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.एस. सेखों,

माननीय श्री न्यायमूर्ति आर.एस. मोंगिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एन.के. कपूर ने अंततः 17 दिसंबर, 1992 को मामले का फैसला किया और मामले को खण्ड पीठ को भेज दिया (जैसा कि शुरू में था) तांकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी अन्य बिंदु पर निर्णय लिया जा सके)।

याचिकाकर्ताओं के वकील पी. एस. पटवालिया।

उत्तरदाताओं की ओर से वकील दीपाली पुरी के साथ मुनीश्वर पुरी।

निर्णय

आर. एस. मोंगिया, न्यायमूर्ति.

याचिकाकर्ता इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा-स्यूटिकल्स लिमिटेड, डूंडाहेड़ा, (गुड़गांव) (संक्षेप में आईडीपीएल) का कर्मचारी है। जब वह लेखा कार्यकारी के रूप में कार्य कर रहा था, तब उनके खिलाफ आईडीपीएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1978 के नियम 5 के तहत बड़ा जुर्माना लगाने के लिए एक विभागीय जांच शुरू की गई थी। जांच वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, आई.डी.पी.एल. द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दंड प्राधिकारी, यानी, निदेशक, वित्त को सौंपी थी। दंड प्राधिकारी ने, दिनांक 26 मई, 1988 (अनुलग्नक पी. 3) के आदेश द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए समयमान के निचले स्तर पर वेतन कटौती की सजा लगाई। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता असफल रहा। वर्तमान रिट याचिका सज़ा देने और अपील खारिज करने के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

(2) मोशन बेंच ने 26 अप्रैल, 1989 को निम्नलिखित आदेश पारित करके रिट याचिका स्वीकार कर ली: -

"*जे.सी. मेहता, एस.ई. पी.जी.आई बनाम पी.जी.आई. चंडीगढ़",* का हवाला दिया 1984 (4) एस.एल.आर. 768.

डी.बी. में भर्ती कराया गया।

1988 की क्रमांक 1150 एल.पी.ए. के साथ सुनवाई की जाएगी।

(3) 1988 की एल.पी.ए. संख्या 1150 में जे.सी. मेहता के मामले के फैसले के खिलाफ पीजीआई द्वारा अपील दायर की गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने प्रवेश के समय ज़ोर दिया था। उक्त पत्र पेटेंट अपील की अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया गया था। पत्र पेटेंट बेंच का निर्णय अब 1991(1) एस.एल.आर. 127 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। किसी वजह से वर्तमान याचिका को उक्त पत्र पेटेंट अपील के साथ नहीं सुना गया।

(4) फैसले के बाद, रिट याचिका एक खण्ड पीठ के सामने सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 1988 की एल.पी.ए. संख्या 1150 (1991(1) एस.एल.आर. 127) में पत्र पेटेंट बेंच के फैसले के बावजूद, ***भारत संघ और अन्य बनाम मोहम्मद रमज़ान खान***[1] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

(5)मोहम्मद रमज़ान के मुकदमे में, यह निर्णय लिया गया है कि प्राकृतिक न्याय के नियमों की पुष्टि में, यह अनिवार्य है कि दंड प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति अपराधी अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए। चूंकि, याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी, इसलिए सजा का आदेश रद्द हो गया था। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि मोहम्मद रमज़ान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात केवल भावी रूप से लागू होगा और फैसले की तारीख से पहले पारित सजा के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा। उन्होंने मोहम्मद मामले में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ज़ोर दिया:-

---

[1] ए आई आर 1991 एस सी 471

"बयालीसवें संशोधन के बाद, विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई निर्णय हुए हैं जिनमें यह विचार किया गया कि दोषी अधिकारियों को जांच रिपोर्ट की एक प्रति देना अब आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि कुछ अवसरों पर इस न्यायालय ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है। चूंकि हम एक अलग निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, विभिन्न उच्च न्यायालयों में विपरीत दृष्टिकोण अपनाने वाले फैसले को अब अच्छे कानून नहीं माना जाना चाहिए। हमें इस दृष्टिकोण को लेकर इस न्यायालय की किसी समन्वय या बड़ी पीठ का कोई निर्णय नहीं दिखाया गया है। इसलिए, इस न्यायालय में किसी भी खण्ड पीठ द्वारा दिए गए विपरीत निष्कर्ष को भी अब अच्छा कानून स्थापित करने के रूप में नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका भावी अनुप्रयोग होगा और लगाई गई कोई भी सजा इस आधार पर चुनौती के लिए खुली नहीं होगी।

(6) मोहम्मद रमज़ान के मामले में फैसला 29 नवंबर, 1990 को सुनाया गया था, और चूंकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अनुसार, इस मामले में सजा का आदेश उससे पहले, यानी 26 मई, 1988 को पारित किया गया था, मो. रमज़ान के मामला में निर्धारित किया गया कानून इसपर लागू नहीं होगा।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने ***मदन लाल बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पंजाब और अन्य***[2] में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मोहम्मद, रमजान के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून उन मामलों पर भी लागू होगा जो उस तारीख को कुछ न्यायालयों में विचाराधीन थे। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि *मदन लाल के मामले* में खण्ड पीठ के फैसले पर, मोहम्मद मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के मद्देनजर, एक बड़ी बेंच द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है। वर्तमान याचिका पर सुनवाई कर रही खण्ड पीठ ने, दिनांक 24 जनवरी, 1992 के आदेश के

---

[2] 1991 (5) एस एल आर 430

तहत, इस मामले को एक बड़ी बेंच के पास भेज दिया कि क्या मदन लाल के मामले (सुप्रा) ने सही कानून निर्धारित किया है या नहीं। इस प्रकार हमने मामले का संज्ञान लिया।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह स्वीकार किया है कि जिस विवाद को पूर्ण पीठ द्वारा निपटाने की मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने ही शांत कर दिया है। ***एस. पी. विश्वनाथन बनाम भारत संघ और अन्य***[3], शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: -

"याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान नहीं की गई थी, इसीलिए समापन का आदेश ख़राब है। उन्होंने *भारत संघ बनाम मोहम्मद रमज़ान खान, ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 491* मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। यह सच है कि इस न्यायालय ने माना है कि यदि सजा का आदेश पारित करने से पहले दोषी कर्मचारी को जांच रिपोर्ट नहीं दी जाती है तो आदेश अवैध हो जाएगा। लेकिन इस न्यायालय के निर्णय को एक संभावित प्रभाव दिया गया है, यह निर्णय देने की तारीख (नवंबर 20. 1990) से पहले पारित आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा जैसा कि निर्णय के पैरा 17 से स्पष्ट होगा।

सर्वोच्च न्यायालय[4] ने, मोहम्मद में उपर्युक्त पैरा, (अर्थात पैरा 17) को उद्धरण करने के बाद, इसके संभावित अनुप्रयोग के संबंध में निम्नानुसार पाया कि: -

"मोहम्मद रमज़ान के मामले में, इस न्यायालय द्वारा, फैसले की सुनवाई 20 नवंबर, 1990 को की गई। उत्तरदाता को 2 फरवरी, 1989 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता मोहम्मद मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने में ज़ाहिर तोर पर त्रुटि की।

---

[3] 1989 की रिट याचिका संख्या 145 जिसका निर्णय 6 मार्च, 1991 को लिया गया।

[4] 1992 की एस एल पी संख्या 4155 जिसका निर्णय 9 सितंबर, 1992 को लिया गया।

(9) ***भागीरथ ग्रामीण बैंक और अन्य बनाम बृजिंदर कुमार श्रीवास्तव***[5] में सुप्रीम कोर्ट की एक और तीन जजों की पीठ ने मोहम्मद रमज़ान के फैसले के उपरोक्त उद्धृत पैरा पर फिर से गौर किया -

"अब मोहम्मद रमज़ान के मामला में फैसला 20 नवंबर, 1990 को सुनाया गया था, जबकि प्रतिवादी को 15 जनवरी, 1987 को उस तारीख से पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यदि संभावित आवेदन के सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि निर्णय का लाभ प्रतिवादी अपराधी को नहीं मिल सकता है।"

(10) सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को देखते हुए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि मोहम्मद रमज़ान के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून भावी रूप से लागू होगा। खण्ड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति पूरे सम्मान के साथ हम मानते हैं कि मदन लाल के मामले में सही कानून स्थापित नही किया गया।

(11) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, वर्तमान मामले में विवादित आदेशों को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि दंड प्राधिकारी द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी।

(12) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उपरोक्त बिंदु के अलावा, मामले में कुछ अन्य बिंदु भी हैं, जिनके आधार पर विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी अन्य बिंदु पर निर्णय लेने के लिए मामले को खण्ड पीठ (क्योंकि शुरू में मामला खण्ड पीठ में भर्ती कराया गया था) को भेज देते हैं।

---

[5] 1992 की एस एल पी संख्या 7631 जिसका निर्णय 23 ओकटूबर, 1992 को लिया गया।

जे.एस.टी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा